रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28012022-232949
SG-DL-E-28012022-232949

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2022/माघ 7, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 398
No. 49] DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/MAGHA 7, 1943 [N. C. T. D. No. 398

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(सचिवालय शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

No. F. 1 (226)/जीबीपीईसी एवं डीआईटीई का विलयन डीएसईयू/एसबी/डीटीटीई /2020 में/80.— दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2019 (दिल्ली अधिनियम 2020 का 04) की धारा 6 के खंड (xix) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 2 मार्च 2021 के मंत्री मंडल निर्णय संख्या 2956 के द्वारा दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग (डीआईटीई) (वजीरपुर कैंपस और ओखला कैंपस) तथा गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज (जीबीपीईसी) को सभी शैक्षणिक और प्रमाणन उद्देश्यों के लिए दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय, (डीएसईयू) के कैंपस के रूप में विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रीमंडल ने दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग (डीआईटीई) (वजीरपुर कैंपस और ओखला कैंपस) एवं गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज (जीबीपीईसी) की सभी चल और अचल संपत्तियों को ''जैसा है जहॉ है आधार'' पर दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय, (डीएसईयू) को स्थानांतरित करने का निर्णय भी लिया है।

दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित के स्थानांतरण की अनुमति प्रदान करते हैं।

1. डीएसईयू के अनुलग्नक–1 के अनुसार सभी नियमित रूप से नियुक्त मौजूदा जनशक्ति सहित डीआईटीई के सभी स्वीकृत पद, उसमें उल्लिखित निबंधन और शर्तों पर।

2. डीएसईयू के अनुलग्नक–2 के अनुसार सभी नियमित रूप से नियुक्त मौजूदा जनशक्ति सहित जीबीपीईसी के सभी स्वीकृत पद, उसमें उल्लिखित निबंधन और शर्तों पर।

आगे दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सहर्ष दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय, (डीएसईयू) को दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग (डीआईटीई) (वजीरपुर कैंपस और ओखला कैंपस) एवं गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज (जीबीपीईसी) के सभी मौजूदा भवनों को इनमें बिना किसी बड़े परिवर्तन के जैसा कि इससे 'भूमि के अधिकार' के प्रभावित होने की संभावना है, को ध्यान में रखकर इन संपत्तियों के उचित रखरखाव एवं अनुरक्षण के उत्तरदायित्व के साथ 'उपयोग करने का अधिकार' प्रदान करते है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर एलिस वाज, सचिव

अनुलग्ननक-1

दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग (डीआईटीई)

स्वीकृत पदों का विवरण :–

संवर्ग	क	ख	ग	कुल
जैड	**46**	**..**	**..**	**46**
वाई	**11**	**16**	**39**	**66**
एक्स	**11**	**32**	**83**	**126**

भरे हुए पदों का विवरण

संवर्ग	क	ख	ग	कुल
जैड	**12***	**--**	**--**	**12**
वाई	**8****	**9**	**28**	**45**
एक्स	**2**	**11**	**40**	**53**
* निदेशक–सह–प्राचार्य दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) से डायवर्टिड क्षमता पर हैं।				
**उप–निदेशक तथा सहायक निदेशक (प्रशासन एवं लेखा, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्रतिनियुक्ति पर हैं)।				

निबंधन एवं शर्तें :–

क) डीआईटीई का डीएसईयू में विलय होने के बाद डीआईटीई सोसायटी विलीन हो जाएगी और सभी अधिकारी और कर्मचारी डीएसईयू के अधिकारी बन जाएंगे। इसके अलावा, वे निम्नलिखित शर्तों द्वारा शासित होंगे:

(i) जैड–संवर्ग से संबंधित संकाय मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एआईसीटीई विनियमों द्वारा शासित होंगे।

(ii) एक्स और वाई–संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी वेतनमान दिया जाएगा और वे मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सरकारी नियमों द्वारा शासित होंगे।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थानों से इन संस्थानों में या तो डायवर्टिड क्षमता में या प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके मूल संवर्ग में वापस भेज दिया जाएगा। यदि विश्वविद्यालय (डीएसईयू) को किसी संकाय सदस्य (सदस्यों)/अधिकारी/कर्मचारी की सेवाओं की आवश्यकता है/हैं, तो वह संबंधित विभाग/संस्थान को इस संबंध में नए सिरे से अनुरोध कर सकता है।

अनुलग्नक–**2**

गोविन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज (जीबीपीईसी)

स्वीकृत पदों का विवरण

श्रेणी	संख्या
समूह–क (शिक्षण)	**65**
समूह –ख (गैर– शिक्षण)	**02**
समूह –ग (गैर– शिक्षण)	**29**

भरे हुए पदों का विवरण

श्रेणी	संख्या
समूह –क (शिक्षण)	**41**
समूह –ख (गैर– शिक्षण)	**00**
समूह –ग (गैर– शिक्षण)	**00**

निबंधन एवं शर्तें :

क) गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज (जीबीपीईसी) के प्राचार्य/शिक्षकों/ अधिकारियों/सहयोगी कर्मचारी सहित नियमित स्टाफ सदस्यों को दिल्ली डीएसईयू की सेवा शर्तों को अपनाने या उन्हीं निबंधन एवं शर्तों, जिन पर वे नियुक्त हुए थे, पर अपनी सेवाएं जारी रखने का विकल्प दिया जाएगा। यदि वे बाद में विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें डीएसईयू में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा।

ख) जीबीपीईसी में काम कर रहे संविदात्मक संकाय और अन्य संविदात्मक गैर–शिक्षण कर्मचारी अपने अनुबंध के पूरा होने तक मौजूदा निबंधन एवं शर्तों पर डीएसईयू में बने रहेंगे। तत्पश्चात, डीएसईयू उनकी आगे की नियुक्ति/विघटन के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

ग) जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थानों से इन संस्थानों में या तो डायवर्टिड क्षमता में या प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके मूल संवर्ग में वापस भेज दिया जाएगा। यदि विश्वविद्यालय (डीएसईयू) को किसी संकाय सदस्य (सदस्यों)/अधिकारी/कर्मचारी की सेवाओं की आवश्यकता है/हैं, तो वह संबंधित विभाग/संस्थान को इस संबंध में नए सिरे से अनुरोध कर सकता है।

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

(SECRETARIAT BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 24th January, 2022

No. F.1 (226)/Merger of GBPEC & DITE with DSEU/SB/DTTE/2020/80.—In exercise of powers conferred under Clause (xix) of Section 6 of Delhi Skill and Entrepreneurship University, ACT, 2019 (Delhi Act 04 of 2020), the Government of NCT of Delhi vide Cabinet decision No. 2956 dated 2nd March 2021 has approved the proposal for merger of Delhi Institute of Tool Engineering (DITE) (Wazirpur campus & Okhla Campus) and Govind Ballabh Pant Engineering College (GBPEC), as Campuses of Delhi Skill and Entrepreneurship University (DSEU) for all academic and certification purposes. The Cabinet has also decided to transfer all movable and fixed assets of Delhi Institute of Tool Engineering (DITE) (Wazirpur campus & Okhla Campus) and Govind Ballabh Pant Engineering College (GBPEC) to Delhi Skill and Entrepreneurship University (DSEU) on "**as is where is basis**".

The Hon'ble Lt. Governor of Delhi is pleased to accord permission for transfer of:

1. All sanctioned posts of DITE alongwith all regularly appointed existing manpower as per **Annexure-1** to the DSEU on the terms and conditions mentioned therein.
2. All sanctioned posts of GBPEC alongwith all regularly appointed existing manpower as per **Annexure-2** to the DSEU on the terms and conditions mentioned therein.

Hon'ble Lt. Governor of Delhi is further pleased to grant the "right to use" all the existing buildings of Delhi Institute of Tool Engineering (DITE) (Wazirpur campus & Okhla Campus) and Govind Ballabh Pant Engineering College (GBPEC) to the DSEU with the responsibility of proper upkeep and maintenance of these assets, without undertaking any major changes in the buildings as the same is likely to impact the "right to land".

By Order and in the Name of the Lieutenant
Governor of the National Capital Territory of Delhi,

R. ALICE VAZ, Secy.

Annexure-1

Delhi Institute of Tool Engineering (DITE)

Details of sanctioned posts

Cadre	A	B	C	Total
Z	46	--	--	46
Y	11	16	39	66
X	11	32	83	126

Details of filled posts

Cadre	A	B	C	Total
Z	12*	--	--	12
Y	8**	9	28	45
X	2	11	40	53
* Director-cum-Principal is on diverted capacity from Delhi Technological University (DTU).				
**Deputy Director & Assistant Director (Admin. & Accts are on Deputation from Finance Department, GNCTD).				

Terms and Conditions:

a) After merger of DITE with DSEU, the society of DITE will be dissolved and all the officers and staff will become officer of the DSEU. Further, they will be governed by the following terms:

   i. The faculty belonging to Z-Cadre would be governed by AICTE regulations as per existing provisions.
   ii. The officers/staff belonging to X & Y Cadre would be granted Government Pay Scales and would be governed by Government rules as per existing provisions.

b) The faculty/officers/staff who are working either in diverted capacity or on deputation in these institutions from different Departments/Institutes of GNCTD, will be reverted to their parent cadre. In case, the services of any faculty member(s)/officer/staff is/are required by the University (DSEU), it can make fresh request in this regard to the concerned Department/Institute.

Annexure-2

Govind Ballabh Pant Engineering College (GBPEC)

Details of sanctioned posts

Category	Nos.
Group-A (Teaching)	65
Group-B (Non-Teaching)	02
Group-C (Non-Teaching)	29

Details of filled posts

Category	Nos.
Group-A (Teaching)	41
Group-B (Non-Teaching)	00
Group-C (Non-Teaching)	00

Terms and Conditions:

a) The regular staff members of Govind Ballabh Pant Engineering College (GBPEC) including Principal/faculty/officers/support staff will be given an option to adopt the service conditions of DSEU or to continue their services on same terms and conditions on which they were appointed. In case, they opt for later, they will be treated as being on deemed deputation to the DSEU.

b) Contractual Faculty and other contractual Non-Teaching Staff working in GBPEC will continue in DSEU on the existing terms and conditions till completion of their contract. Thereafter, DSEU would be free to take a decision regarding their further engagement/disengagement.

c) The faculty/officers/staff, who are working either in diverted capacity or on deputation in these institutions from different Departments/Institutes of GNCTD, will be reverted to their parent cadre. In case, the services of any faculty member(s)/officer/staff is/are required by the University (DSEU), it can make fresh request in this regard to the concerned Department/Institute.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.28 16:38:00 +05'30'